Please issued by R&I 29/8/13

स्पीड पोस्ट

सं. 13012/42/2013-के.VI
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
जम्मू और कश्मीर प्रभाग

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 26.8.2013

सेवा में

श्री मनी राम शर्मा,
रोडवेज डिपो के पीछे
नकुल निवास, सरदारशहर,
जिला चूरू-331403
राजस्थान

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करना।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 08.06.2013 के आवेदन (16.08.2013 को प्राप्त) का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई है। यह सूचित किया जाता है कि जहां तक जम्मू एवं कश्मीर प्रभाग (के. VI शाखा) का संबंध है, सूचना 'शून्य' समझी जाए।

2. इस मामले में अपील प्राधिकारी श्री आर.के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (कश्मीर), गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली हैं।

भवदीय,

(भोपाल सिंह) 26/8/13
निदेशक (के-II) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:

श्री एस. सामंत, अवर सचिव, आर टी आई अनुभाग, गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को दिनांक 09.08.2013 के पत्र सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

29 AUG 2013

(भोपाल सिंह) 26/8/13
निदेशक (के-II) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Speed Post

No. 13012/42/2013-K.VI
Government of India
Ministry of Home Affairs
Jammu and Kashmir Division

North Block, New Delhi
Dated 26th August, 2013

To

Shri Mani Ram Sharma
Behind Roadways Depot,
Nakul Niwas, Sardarshahar,
District Churu -331403
Rajasthan

Subject: Seeking information under the RTI Act, 2005- regarding.

Sir,

Please refer to your application dated 08.06.2013(receipt on 16.08.2013) seeking information under RTI Act, 2005 and to say that so far as Jammu and Kashmir Division (K.VI Branch) is concerned, the information sought may be treated as 'Nil'.

The Appellate Authority in the matter is Shri R. K. Srivastava, Joint Secretary (Kashmir), MHA, North Block, New Delhi.

Yours faithfully,

26/8/13

(Bhopal Singh)
Director (Kashmir-II) and CPIO

Copy to:

Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI Section, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. letter No. A-43020/01/2013-RTI dated 09.08.2013.

26/8/13

(Bhopal Singh)
Director (Kashmir-II) and CPIO

माननीय गृह मंत्री ,

गृह मंत्रालय , नोर्थ ब्लोक, नई दिल्ली – 110001

मान्यवर,

<u>पारदर्शी एवं स्वच्छ शासन – सूचना का अधिकार- अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशन</u>

कृपया उक्त प्रसंग में मेरे पूर्व निवेदन दिनांक 31.03.2013 का सन्दर्भ लें जिसके माध्यम आपसे निवेदन किया गया था कि पारदर्शी एवम भ्रष्टाचारमुक्त शासन के लिए शक्तियों के प्रयोग करने में पारदर्शिता और समय मानक निर्धारित होना आवश्यक है क्योंकि विलम्ब भ्रष्टाचार की जननी है। इस दिशा में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (b) (ii) में सभी स्तर के अधिकारियों की शक्तियां स्वप्रेरणा से प्रकाशित करना बाध्यता है किन्तु गृह मंत्रालय सचिवालय के किसी भी विभाग/खंड ने इसकी अभी तक अनुपालना नहीं की है और सचिवगण अपनी शक्तियों के अतिक्रमण में निर्णय ले रहे हैं व नीतिगत मामलों में जन परिवेदनाओं को, बिना किसी प्रभारी मंत्री की अनुमति के, सचिव स्तर पर ही निस्संकोच निरस्त कर दिया जाता है। अधिकारियों की शक्तियों के सार्वजानिक दृष्टि गोचरता में रखने से ही जनता जान सकती है किसी अधिकारी द्वारा किया गया कोई कार्य उसकी शक्ति में है अथवा नहीं ।

1. सचिवालय ने जो भी आंशिक सूचना अधिनियम की धारा 4 के अनुसरण में प्रकाशित कर रखी है वह बिखरी हुई है व एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होने से नागरिकों के लिए दुविधाजनक है। सचिवालय ने धारा 4(1)(b)(i) से लेकर 4(1)(b)(xvii) तक की भावनात्मक अनुपालना नहीं की है और धारा 4 (1) (b) (ii) की तो बिलकुल भी अनुपालना नहीं की है। अतः अब धारा 4 (1) (b) (ii) की अनुपालना की जाये और धारा 4 से सम्बंधित समस्त सूचना एक ही स्थान पर समेकित कर बिन्दुवार/धारा –उपधारावार सहज दृश्य रूप में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाये ताकि सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रावधानों की अनुपालना कर दी गयी है व कोई प्रावधान अनुपालना से छूटा नहीं है।
2. अधिकारियों को दी जाने वाली शक्तियां उनके ग्रेड और पद के साथ जुडी होती हैं व उन्हें मात्र वितीय शक्तियां ही नहीं अपितु प्रशासनिक, अनुशासनिक, निर्णायक, पूंजीगत व अन्य खर्चों के लिए, वाद लाने व रक्षा करने ,पत्र हस्ताक्षर करने आदि विषयक विस्तृत शक्तियां दी जाती हैं। प्रत्येक विभाग/ संगठन को भेजे जाने वाले पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए हरेक अधिकारी सशक्त नहीं है अपितु वरिष्ठ अधिकारियों, संसद आदि को भेजे जाने पत्र वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्तक्षरित होना आवश्यक है तथा बिना शक्ति प्राप्त किये कोई कार्य करना व प्रलेख हस्ताक्षर करना क्षेत्राधिकार से बाहर व अविधिमान्य है। अतः यदि अब तक विस्तृत शक्तियां नहीं सौंपी गयी हों तो अब यह कार्य अविलम्ब संपन्न किया जाये और इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए क्योंकि यह कानूनी बाध्यता है और इससे छूट नहीं है।
3. लोक प्राधिकारी को इस प्रकार प्रयास करने चाहिये कि नागरिकों को सूचना उपलब्ध संचार संसाधनों इन्टरनेट सहित से तैयार मिले ताकि उन्हें धारा 6के अन्तर्गत आवेदन ही न करना पड़े। केन्द्रीय सचिवालय इ-कार्यालय

मनुअल के पैरा 90 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम की अनुपालना के दृष्टिकोण से लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेगा।

4. आप सचिवालय के मुखिया हैं और समस्त निर्णायक शक्तियां आप में ही निहित हैं। आपको परामर्श देने और निर्णय में सहायता देने के लिए विभिन्न स्तर के सचिव और कमेटियां हैं किन्तु उन्हें किसी भी नियम, नीति सम्बद्ध विषय या नागरिकों के प्रतिवेदन/याचिका को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। स्वीकृति के अधिकार में ही अस्वीकृति का अधिकार सम्मिलित है। अतः स्वस्पष्ट है कि किसी भी स्तर के सचिव को किसी जन प्रतिवेदन/याचिका को अन्तिमतः अस्वीकार करने का कोई अधिकार सचिवालय के किसी कानून, नियम, अधिसूचना, आदेश आदि में नहीं दिया गया है और न ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ऐसा कोई अधिकार किसी सचिव को दिया जा सकता है।
5. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का यह अधिकार जनता को संविधान के अनुच्छेद 350 से प्राप्त है अतः इस मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए किसी भी आधार पर कोई भी सचिव प्राधिकृत नहीं है। यदि कोई प्रकरण वास्तव में स्वीकृति योग्य नहीं पाया जाए तो उसका अंतिम निर्णय भी प्रभारी मंत्री ही कर सकता है।

अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि लोकतंत्र की पवित्रता और श्रेष्ठता की सुरक्षा के लिए समस्त अधिकारियों को तदनुसार निर्दिष्ट किया जाए और उनकी प्रशासनिक/निर्णायक शक्तियों/क्षेत्राधिकार को सचिवालय की वेबसाइट पर सहज दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाए। अति कृपा होगी।

सादर,

भवनिष्ठ

मनीराम शर्मा

दिनांक: 07.06.2013

एडवोकेट

नकुल निवास, रोडवेज डिपो के पीछे

सरदारशहर-331403

जिला-चुरू(राज)

16/8/13

21/RTI/C2/2013
16/8/13

RTI MATTER/TIME BOUND

No.A-43020/01/2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
....

New Delhi, dated 09 /08 /2013.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Application of Shri Mani Ram Sharma under the RTI Act, 2005.
******

The undersigned is directed to forward herewith an application dated08/06/2013 under the RTI Act, 2005 from Shri Mani Ram Sharma (received in this Ministry on 12/06/2013). Since the requested information pertains to various Divisions of this Ministry, the application is being forwarded to these Divisions for providing information as available with them. It is requested that if the subject matter pertains to any other CPIO/Public Authority, the application may be forwarded/transferred directly to that Authority under intimation to the applicant.

2. The applicant has paid the requisite fee of Rs.10/- vide Receipt No.24948 dated 14/06/2013, a copy of which is enclosed.

3. Delay in forwarding the application is regretted.

(S.Samanta)
Under Secretary to the Govt of India.

To

Officers/CPIOs (as per the List attached)

Copy for information to:

Shri Mani Ram Sharma
Behind Roadways Depot,
Nakul Niwas,Sardarshahar,
District Churu- 331403
Rajasthan.

14/8/2013

Dir(K-II)

US(K-V)

(He is requested to contact the above mentioned Officers/CPIOs for further information in the matter).

16/8/13

LIST OF OFFICERS/CPIOS

Sl.No.	Designation
1	Home Secretary
2	Special Secretary (IS)
3	Addl.Secretary & FA
4	Addl.Secretary (CS)
5	Joint Secretary (A)
6	Joint Secretary (IS-I)
7	Joint Secretary (P-1)
8	Joint Secretary (NM)
9	Joint Secretary (DM)
10	Joint Secretary (K)
11	Joint Secretary (BM)
12	Joint Secretary (HR)
13	Joint Secretary (C & PG)
14	Under Secretary (Coord-III)

Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi

12 JUN 2013

के.र.सं. 771
C.R. No. 771
सी.आर. अनुभाग/नॉर्थ ब्लॉक / C.R. Section/North Block

3984/RTI/2013
17/6/13

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ,
गृह मंत्रालय ,
नोर्थ ब्लोक,
नई दिल्ली – 110001
महोदय ,

कृपया मुझे निम्नांकित सूचनाएँ प्रदान करने का श्रम करें :-

1. इमेल आईडी- <hshso@nic.in>, ssis.mha@nic.in, asfah@nic.in, "ascs@nic.in" <ascs@nic.in>, dilipc@nic.in, <jsadmin@mha.gov.in>, jsis@nic.in, jsp2-mha@nic.in, jsdm@nic.in, jsp-mha@nic.in, jsut@nic.in, jspp-mha@nic.in, js-is2@mha.gov.in, jscs@nic.in, ma.ganapathy@nic.in, jsk@nic.in, jsbm@nic.in, jshr-mha@nic.in, JS Home jscpg-mha <jscpg-mha@nic.in>, <usc3-mha@mha.gov.in> पर प्रेषित मेरे सन्देश दिनांक 07.06. 13 प्रसंग – पारदर्शी एवं स्वच्छ शासन – सूचना का अधिकार- अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशन -पर की गयी टिप्पणियों की प्रति
2. उक्त प्रसंग में जारी एवं प्राप्त पत्रों की प्रति
3. उक्त प्रसंग में पारित आदेश की प्रति
4. गृह मंत्रालय के अधिकारियों/समस्त स्तर के सचिवों को सौंपी गयी शक्तियों के वर्तमान में लागू आदेश, नियम, अधिसूचना आदि , यदि कोई हो तो, उसकी तिथि
5. मंत्रालय के संयुक्त सचिव, अपर सचिव, सचिव को सौंपी गयी शक्तियों के आदेश/अधिसूचना आदि की प्रति
6. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(b)(ii) के अनुसरण में सभी स्तर के अधिकारियों की शक्तियां स्वप्रेरणा से प्रकाशित/अधिसूचित करने की संभावित/प्रस्तावित/ तिथि
7. मंत्रालय के उन पदाधिकारियों के नाम व पदनाम जो मंत्रालय की नीति, नियमों और विनियमों के सम्बन्ध में परिवर्तन करने के लिए सक्षम हों
8. मंत्रालय के उन पदाधिकारियों के नाम व पदनाम जो नीति, नियमों और विनियमों के सम्बन्ध में परिवर्तन करने के लिए जनता से प्राप्त प्रतिवेदनों और याचिकाओं को स्वीकार करने, और सरकार को निर्देश देने के लिए सशक्त हों

शुल्क भुगतान के लिए पोस्टल ऑर्डर संख्या 507078 भेजा जा रहा है और आवेदन की प्रति भी त्वरित कार्यवाही हेतु उक्त समस्त इमेल पतों पर भेजी जा रही है| अतः कृपया समायोजित करें और सूचना प्रदान करने में शीघ्रता कर अनुग्रहित करें |

दिनांक: 08 :06 :2013

भवनिष्ठ

मनीराम शर्मा

रोडवेज डिपो के पीछे, नकुल निवास,
सरदारशहर जिला चुरू (राज)-331 403-7
ईमेल: maniramsharma@gmail.com